(208)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 887/1993 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–8–1993 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म0प्र0 प्रकरण कमांक 133/अपील/1992–93.

1. बुदूवक्स
2. बुद्धिमान वक्स
3. परिवक्स
4. इमामवक्स
5. सली मुल्लावक्स सभी पुत्रगण मुलन मुसलमान
6. शैकुल
7. महबूब
8. मौला वक्स दोनां पुत्र टीणू मुसलमान

सभी निवासीगण ग्राम गेरूआ, पोस्ट सिहावल
थाना अमिलिया तहसील सिहावल जिला सीधी म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1. बृजराज सिंह
2. हिन्छराज सिंह
3. उदयराज सिंह सभी पुत्रगण स्व0 श्री तिलकराज सिंह
4. मधुकर सिंह मृत वारिस–

(अ) बलराज सिंह
(ब) धनराज सिंह
(स) संतन सिंह
(द) महीपतसिंह पुत्र मधुकर सिंह

सभी निवासीगण ग्राम सिहावल तहसील सिहावल
जिला सीधी म0प्र0

——— अनावेदकगण

.....

श्री विनोद भार्गव, अभिभाषक आवेदकगण
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

( आज दिनांक28/09/2017 को पारित )

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त

रीवा संभाग रीवा म0प्र0 के आदेश दिनांक 13–8–1993 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत ग्राम गेरूआ स्थित सर्वे कमांक 155 जिसका सीमांकन दिनांक 21–5–88 को किया गया था जिसपर तिलकराजसिंह तथा मघुकरसिंह का चार जरीब लम्बाई कुल 6 डि0 पर कब्जा बापस दिलाये जाने बावत प्रस्तुत किया। तहसीलदार सिहावल ने प्रकरण कमांक 47/अ–70/88–89 में पारित आदेश दिनांक 26–12–91 द्वारा आवेदकगण का आवेदन अवधि बाह्य मानकर निरस्त किया। आवेदकगण द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकरी गोपदबनास/चुरहट जिला सीधी के समक्ष पस्तुत की जिसमें आदेश दिनांक 29–8–92 से अपील निरस्त की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 13–8–1993 के द्वारा अपील निरस्त की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों ने प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किये जाने का अनुरोध किया।

4/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा सीमांकन दिनांक 21–5–1988 को हुये सीमांकन के आधार पर दिनांक 8–11–88 को अनावेदकगण से कब्जा वापस दिलाये जाने बावत आवेदन पत्र पेश किया था जिसे नायब तहसीलदार ने दिनांक 31–3–89 के द्वारा समयावधि के बिन्दु पर निरस्त किया। आवेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसमें प्रकरण कमांक 123/अपील/अ–70/88–89 को आदेश पारित कर प्रकरण को समयावधि में मानकर गुण–दोषों के आधार पर धारा 250 के तहत पुनः आदेश पारित करने

के आदेश दिये। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पश्चात पुनः सुनवाई का अवसर देने के उपरांत यह निष्कर्ष निकालते हुये कि किसी की भूमि पर जबरन कब्जा कर लेने पर दो वर्ष के भीतर बेदखल करने की पात्रता होती है साथ ही संहिता की धारा 116 के अन्तर्गत कब्जा प्रविष्टि को शुद्ध करने के समय सीमा 1 वर्ष निर्धारित है। जबकि अनावेदकों का 7 वर्ष का निरंतर कब्जा रिकार्ड में चला आ रहा था। अनावेदकों के कब्जे की पुष्टि साक्षियों द्वारा भी की गई है। इसी के कारण नायब तहसीलदार ने आवेदकगणों का आवेदन निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि आवेदकगण ने यह सिद्ध नहीं कर सका है कि विवादग्रस्त भूमि औश्र उसका स्पष्ट वर्णन आवेदक भूमिस्वामी के रूप में विवादग्रस्त भूमि पर काबिज था, यदि किसी केता ने वाद के लंबित होने के समय में भूमि कय की हो तब संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 52 के प्रभाव से केता भूमिस्वामी के रूप में कब्जेदार नहीं माना जा सकता। उसे अनावेदक ने किस दिन और किस प्रकार बेकब्जा किया था यह भी सिद्ध नहीं कर सका। विचारण न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को अपर आयुक्त ने अपने आदेश से उचित माना है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 13–8–1993 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर